(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE fN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b) One calf is reported to have died ai Shakurbasti. 11 wagons of livestock were received by Down Rajhans Special on 8-1-1979 at Shakurbasti. Oul of these, 4 wagons were booked fiom Ferozepur to Chunar and 7 from Rampura Phul to Varanasi. The pocket labels, however, showed theii destinations as Buxar and Sealdah Since a case of forgery of Railwaj Receipts and change of pocket labels was suspected and as outsiders wen also suspected to have been involved after investigations an F.I.R. was lodged with the police on 12-1-1979 The Police authorities completed the< investigations and the wagons were immediately allowed by them to be< despatched on 13-1-1979. The question of death on account of starvatioi or for want of water should not. aris< as adequate water arrangements exis at Shakurbasti and the escorts wen travelling in the wagons to look afte: the cattle.

मिनी बसों में क्षमता से अधिक सवारियों का भरा जाना

2179. श्री कलराज मिश्र :
डा० भाई महावीर :
श्री हरि शंकर भाभड़ा :
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मिनी बसें दिल्ली परिवहन निगम के साथ हुए करार का उल्लंघन करके क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिल्ली परिवहन निगम ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

ftOver loading: of Mini Buses

2179. SHRI KALRAJ MISHRA:
DR. BHAI MAHAVIR:
SHRI HARI SHANKAR BHABHRA: SHRI
JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the passengers are carried by mini buses in Delhi in excess of the capacity and in violation of agreement reached with Delhi Transport Corporation; and

(b) if so, what action has so far been taken by the Delhi Transport Corporation in this regard?]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम): (क) और (ख). दिल्ली में चलने वाली कुछ मिनी बसें दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही हैं जब कि कुछ बसें परमिटों पर चल रही हैं जो सीधे राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा बस मालिकों को जारी किए गए हैं । जहां तक दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली मिनी बसों का प्रश्न है, दिल्ली परिवहन निगम उन बसों का चालान करता है जो करार की शर्तों का उल्लंघन करती हैं । मिनी बस-मालिकों/और दिल्ली परिवहन निगम के बीच किए गए करार में यह व्यवस्था है कि इन बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री न चढ़ाए जाएं । ऐसा करना मोटर वीहिकिल्स एक्ट, 1939 के उपबन्धों के अधीन भी एक जुर्म है जिसके लिए यातायात पुलिस और परिवहन निदेशालय के प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा बस-मालिकों का चालान किया जाता है । जनवरी, 1978 से फरवरी, 1979 तक की अवधि में बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां चढ़ाने के जुर्म में

f[ ] English translation.